तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
07.11.23	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रस्तुत हुयी। वकील अपीलाण्ट का तर्क रहा है कि असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छुपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। असल रैस्पो0 की माता बनेनी देवी ने अपने पिता स्व0 मवासीराम व स्व0 गिर्राज सिंह की आराजी में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रिलीज डीड दिनांक 03.05.2010 के द्वारा छोड दिया है। रिलीज डीड के अस्तित्व में रहते हुये असल रैस्पो0 को विवादित आराजी में कोई हक प्राप्त नहीं होता है। यह है कि असल रैस्पो0 की माँ ने एक दावा श्रीमती बनेनी बनाम रतन सिंह अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमे स्वयं बनेनी ने दिनांक 09.02.2011 को राजीनामा रतन सिंह के पक्ष में देकर सम्पूर्ण आराजी पर रतन सिंह का अधिकार स्वीकार कर लिया था। इस राजीनामा के अस्तित्व में रहते हुये असल रैस्पो0 को किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति स्थगित किये जाने का निवेदन किया। रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है। जिसकी अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है। न्यायालय हाजा के एक पक्षीय आदेश दिनांक 30.06.2023 की रैस्पो0 ने माननीय राजस्व मण्डल में रिवीजन प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षो को स्थगन पर सुनवाई कर दो माह में निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं। विवादित आराजी बनेनी को पिता से प्राप्त हुयी है। अतः विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है एवं विरासत से राजकुमारी को आयी। विवादित आराजी स्वः अर्जित आराजी हो। ऐसा कोई दस्तावेज अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्पूर्ण तथ्य मूल दावे में विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होगें। विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन उचित ही है। यदि स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है, तो वाद बहुलयता बढेगी। अपीलाण्ट एक तरफ तो बनेनी द्वारा रिलीज डीड होना कथन करते हैं वही दूसरी तरफ राजीनामा से छोडा जाना बताते हैं। दोनों कथन विरोधाभाषी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से दोनों पक्षो को पाबन्द किया है। विवादित आराजी की यथास्थिति बनी रहने से, अपीलाण्ट को क्या दिक्कत है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट एक तरफ तो बनेनी देवी द्वारा विवादित आराजी बाबत रिलीज डीड होना कथन करते हैं वही दूसरी तरफ पूर्व में चले दावे उनवानी श्रीमती बनेनी बनाम रतन सिंह में राजीनामा से विवादित आराजी को छोडा जाना बताते हैं। उक्त तथ्य एवं पक्षकारो के विवादित आराजी में स्वत्व, विस्तृत	

26

साक्ष्य विवेचना उपरान्त मूल वाद में तय होंगें। फिलहाल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि दौराने वाद विवादित भूमि की स्थिति का परिवर्तन, वाद जटिलता एव वाद बहुलयता को उत्पन्न करती है। हमारी दृष्टि में दौरान वाद, वाद जटिलता एवं वाद बहुलयता रोकने के लिए रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति निरापद होती है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय है एवं अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार उपस्थित हो चुके हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव किये जाने में भी प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होगा। लिहाजा हम बिना किसी देरी के प्रकरण इसी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण में अधिकतम एक माह में अंतिम निर्णय पारित करें। तव तक उभयपक्ष विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में पक्षकारो के न्यायालय में उपस्थित होने की दिनांक से अधिकतम एक माह में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, प्रकरण में अन्तिम निस्तारण पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7.11.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)